

13/1/26

पत्रावली पेश हुई। उमदासकारान् अधिकारण
उपस्थित। पत्रावली मूल वाद के साक्ष्य दिनांक 27/1/26 को
पेश हो।


13/1/26


27/1/26

पत्रावली पेश हुई। अतः पत्रावली वाद में अधिकारण
का कार्य सम्पन्न किया हुआ है। पत्रावली साक्ष्य
आदेश दिनांक 11/2/26 को पेश हो।


आदेश दिनांक

11/2/26

पत्रावली पेश हुई। उमदासकारान् अधिकारण
उपस्थित। पत्रावली मूल वाद के साक्ष्य दिनांक
23/2/26 को पेश हो।


11/2/26

23/2/26

पत्रावली पेश हुयी उमदासकारान्
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अधिकारण में है। पत्रावली साक्ष्य आदेश
दिनांक 16/2/26 को पेश हो।


आदेश दिनांक

16/3/26

Copy Recd


पत्रावली पेश हुई। जाली - अजाली अधिकारण
उपस्थित। उमदासकारान् अधिकारण की
मूल वाद में जाली पत्र आदेश 7 निषेध 11 वा. नि.
पर अजीद करस जुगी गई। पत्रावली वास्तविक जाली
पत्र के निर्दिष्ट दिनांक 18/3/26 को पेश
हो।


16/3/26

18/3/26

पत्रावली पेश हुई। उमदासकारान् अधिकारण
उपस्थित। अजाली सं-2 द्वारा मूल वाद में जाली
जाली पत्र आदेश 7 निषेध 11 वा. निवासी स्वीकार
होने से वादी। जाली द्वारा जाली मूल वाद जारी
किया वा चुका हो। जाली पत्र जाली मूल वाद

—संगालर—


18/3/26

अधिकारण कलकत्ता
संगालर

राजीव राव

फॉर्म नं 03
फॉर्म अहकाय
(विषय - 26)

बनाम

रामकृष्ण

838/2424

प्रकरण सं. /202

तारीख पेशी

दुकान या कार्यावाही काय इतिवृत्तियायल व.व.

नम्बर व तारीख
अहकाय / जो इस
दुकान की तामिल में
बाती हुए

18/3/26

जारीज ले जाने से जारणी द्वारा उद्भूत
 जारणी प्रव अन्तर्गत धारा 212 वाक्यस्थान
 कायतकारी आधिनिग्रम में कोई कार्यावाही
 अधीन नही है अतः जारणी द्वारा उद्भूत
 जारणी प्रव अन्तर्गत धारा 212 वाक्यस्थान
 कायतकारी आधिनिग्रम जारीज किता
 जाना है और जारणी के प्रका में जारी
 एक्पक्षीत मंत्रिम अस्ताई विधिधाना, जारणी
 प्रव के जारीज ले जाने से मंजूर की जारी
 है निधिज सबे इवलात सुनाय जारणी
 प्रकावणी कानल कुमार
 लेकर तामिल वाना है और नम्बरा सिकम
 है


 18/3/26

सहायक कलक्टर
 भीलवाड़ा